report appearing in the Economic Times dated 8.4.93 quoting that China is contemplating mass retrenchment of 8 million Government employees to raise funds to cover a part of wage increases this year;

(b) if so, whether our Government propose to follow suit by calmping a ban on new recruitments in Government and Public Sector Undertakings for five years; and

(c) whether Government are considering implementation of one-family-one-job norms to ease the chronic unemployment situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SMT. MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. There is no proposal for putting a total ban on recruitment.

(c) No, Sir.

**संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के संबंध में शिकायतें**

2005. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्तमान वर्ष में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को दिए गए अकों में हेराफेरी करने के संबंध में परीक्षार्थियों और कुछ संसद-सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच कराने के आदेश दिए हैं; और

(ग) पिछड़े वर्गों के परीक्षार्थियों को न्याय दिलाने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गेट आल्वा)** : जी, नहीं। चालू वर्ष के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केवल भारतीय वन सेवा परीक्षा, 1993, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 1993 तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा 1993 आयोजित की गई है तथा उनके परिणाम अभी घोषित किए जाने हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**CBI probe into computer deal signed by Bangarappa Ministry**

2006. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a CBI probe into the Rs. 5.26 crore controversial computer deal signed by the Bangarappa Ministry has been computered, if so, the details thereof;

(b) whether the CBI officials have filed an FIR in the matter; and

(c) if so, the details thereof, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SMT. MARGARET ALVA): (a) No, Sir.

(b) Yes Sir. CBI have registered an FIR based on the complaint received from the Govt. of Karnataka vide their letter No. DPAR 36 AMC 93, dated 19-3-1993.

(c) A regular case No. 1(A)/93-ACU-IV/CBI, New Delhi under sections 120B read with 419 and 420 of IPC and Sections 13(2) read with 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1988 has been registered against Shri J. Alexander,

the then Additional Chief Secretary & Finance Commissioner, Government of Karnataka, Shri S. Bangarappa, former Chief Minister of Karnataka and Shri V. Gokul Krishna, Director of M/s Classik Computer systems, Bangalore.

**दक्षिणी राज्यों में ग्रेड-II कर्मचारियों का स्थानान्तरण तथा उन्हें ग्रेड-II में नियुक्त किया जाना**

2007. **श्री कामेश्वर पासवान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सचिवालय/सम्बद्ध कार्यालयों से कितने अवर श्रेणी लिपिकों को स्थानांतरित कर मंत्रालयों के अधीन दक्षिणी राज्यों में स्थित कार्यालयों में लिपिक ग्रेड-II के पद पर नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या इस प्रकार के स्थानांतरण लिपिक ग्रेड-II नियुक्ति नियमों के अनुसार किये गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दक्षिणी राज्यों में स्थित कार्यालयों ने उपर्युक्त अवधि में न तो कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियां अधिसूचित की है और न ही इस संबंध में आयोग से नियुक्ति के लिये अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तथा ये कार्यालय सक्षम प्राधिकारी से भर्ती संबंधी नियमों को शिथिल करवाये बिना ही रिक्त पदों को भरते रहे हैं ;

(घ) इस प्रकार भरे गये रिक्त पदों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये आरक्षित कितने पद सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों से भरे गये हैं ; और

(ङ) इस प्रकार नियमों की पूर्णतया उपेक्षा करके आरक्षित पदों को भरने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मारग्रेट आल्वा :** (क) और (ख) अन्तःविभागीय स्थानांतरणों द्वारा नियुक्त किए अवर श्रेणी लिपिकों से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है। स्थानान्तरण द्वारा नियुक्तियां आम तौर पर वहां की जाती हैं जहां भर्ती नियमों में ऐसी नियुक्तियों के लिए प्रावधान है। जहां ऐसा प्रावधान नहीं है वहां नियुक्तियां भर्ती नियमों में छूट प्रदान कर की जा सकती है।

(ग) दक्षिणी राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय कर्मचारी चयन आयोग को अवर श्रेणी लिपिकों की रिक्तियां अधिसूचित करते आ रहे हैं। आयोग उन्हें सूचित रिक्तियों के आधार पर भर्ती करता है। जहां तक छूट प्रदान करने का सम्बन्ध है समूह "ग" तथा "घ" पदों के भर्ती नियमों में छूट प्रदान करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रत्यायोजित की गयी है और इस प्रकार के मामलों की संख्या से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीकृत रूप से मानिटर नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) यह सूचना केन्द्रीयकृत रूप से उपलब्ध नहीं है। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रावधान विद्यमान है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, उनके लिए अरक्षित पदों पर उनके हक से उन्हें वंचित करने के लिए नियमों का दुरुपयोग न हो।

**Facilities to handicapped persons**

2008. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Government Employees, who are orthopaedically handicapped, are given concession and facilities for their physical disabilities;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the number of such employees in each Ministry/Department who are availing of these concessions/facilities at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH